न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 78/14 निर्णय दिनांकः– 22-2-21

(जीसीएमएस संख्या 2014/00073)

1. पुरखाराम पुत्र शिवनारायण जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. धनश्याम पुत्र स्व. श्रीमती रामी जाति माली निवासी चुंगी चौकी, गजनेर रोड़ तहसील व जिला बीकानेर।
2. पार्वती पुत्र श्रीमती रामी पत्नी शूरवीर सिंह जाति माली निवासी मकान संख्या 22 स्टेशन वाली गली, मीरा मंदिर के पास, मेड़ता सिटी जिला नागौर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर मु. बीकानेर दिनांक 25–05–2000

उपस्थितः

1. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वीरेन्द कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर मु. बीकानेरके निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2000 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा एकतरफा दावा डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:30:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 245 नये खसरा नम्बर 558, 559, 560 तादादी 108 बीघा 03 बिस्वा अपीलांट के चाचा लदूराराम के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। लूदराराम के कोई संतार नहीं थी वह अपीलांट के पास ही रहता था व अपीलांट उसकी सेवा चाकरी करता था। अपीलांट को लूदराराम ने सामाजिक तौर पर गोद भी ले रखा था व अपीलांट ने ही लूदरराम की मृत्यु के पश्चात् उसके समस्त कियाकर्म किये थे। लूदराराम ने अपीलांट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर व अपनी भूमि के विवाद से बचने के लिये उसने आराजी जैर की वसीयत अपीलांट के हक में दिनांक 03–03–1981 को दो गवाहान की मौजूदगी में कर दी गई थी व उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि का इंतकाल संख्या 128 दिनांक 04–04–1986 अपीलांट के नाम से दर्ज कर दिया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी रामी अथवा उसके वारिसान तथा अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त इंतकाल के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लम्बित है। उक्त रिट याचिका में अपीलांट क हक में अंतरिम आदेश बाबत् मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जा चुके है।

उन्होनें आगे बताया कि वादी रामी लूदराराम की पुत्री नहीं है, उसने अमलामाल से मिलीभगत करते हुए गलत तरीके से अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। जिससे व्यथित होकर वादी/रेस्पाडेन्ट की माता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आते रहे तथा अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी बताई जाती रही। प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलां[illegible] जानकारी के बिना ही अदालत मातहत के [illegible] 09–[illegible]2000 को भी इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया गया व दिनांक 25–0[illegible]000 को अपीलांट/प्रतिवादी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:50:32 IST
Reason: SelfAttested

को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना मित्या तथ्यों के आधार बनाकर वाद डिक्री करवाया गया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं मिल सकता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि यदि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यदि अदालत मातहत के समक्ष No instruction Plead भी कर दिया गया था तब भी अदालत मातहत को संबंधित पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी करते हुए तलब किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाये बिना ही अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व ावे के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष जैरकार वाद में वे नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए व साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र वादी का वाद स्वीकार करने के लिये समस्त कार्यवाही करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण व वादीगण/रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने मात्र से कायम करते हुए एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:30:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व बिना नोटिस दिये पारित किया गया है ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आते रहे है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड करने के उपरान्त आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सुजानदेसर के खेत खसरा नम्बर 245 की 108 बीघा 03 बिस्वा भूमि वादिनी रामी देवी अर्थात रेस्पोडेन्ट की माता के के पिता के नाम से बतौर खातेदारी भूमि थी। जिस पर लूदराराम के स्वर्गवास के उपरान्त से ही रेस्पोडेन्ट्स की माता व बहिन के नाम से इंतकाल दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट को बतौर कृषक की हैसियत से ख़ेती के काम के लिये दी गई थी। परन्तु अपीलांट के द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने के कारण अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्व बेदखली व धोषणात्मक चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित करने का अनुतोष चाहे जाने पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहे है। प्रकरण में वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 1986 में वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त वादपत्र पर अपीलांट/प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता वर्ष 2000 तक उपस्थित आते रहे है तथा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाबदावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था। अदालत मातहत के समक्ष अपीलाधीन आदेश पारित करने से एक पेशी पूर्व ही अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रेक्शन [illegible] पर एकतरफा बहस सुनने के पश्चात् परीक्षण [illegible] वाद का निस्तारण गुणावगुण पर सही पाये जाने पर [illegible] प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:50:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जवाब के समर्थन में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये गये है ना ही कोई साक्ष्य व सबूत पेश किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसक हक व हकूक साबित होते हो। इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट्स की माता का वाद डिक्री किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र इस आधार पर कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया गया था, प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06–10–2006 के विरुद्ध अपील दिनांक 15–04–2010 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का कथन किया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसरप्रदान किये बिना पारित किया गया है व अपील में मेरिट के तथ्य है इसलिए मियांद पर उदार रुख रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व 183 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावा एकतरफा तौर पर अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड करने पर अपीलांट को बिना सूचना दिये व सुनवाई/सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही [illegible] डिक्री [illegible] जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:50:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करने से पूर्व इस तथ्य की और न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया कि अपीलांट जरिये अधिवक्ता निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहे है तथा दिनांक 09–05–2000 को अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा No instruction Plead करने पर अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस अथवा सूचना प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर दावा डिक्री किया गया है। लिहाजा इसी बिन्दु पर अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने की इस्तदुआ की गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष वाद वर्ष 1986 से निरन्तर जैरकार चल रहा था, तथा विगत् 14 वर्षो तक अपीलांट/प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहे है। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09–05–2000 को नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड करने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा आगामी पेशी दिनांक 25–05–2000 को दावा डिक्री कर दिया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो संबंधित अधिवक्ता को नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड करने से पूर्व पक्षकार को सूचित करना चाहिए था। यदि संबंधित अधिवक्ता द्वारा कतिपय कारणों से पक्षकार को इस संबंध में सूचित नहीं भी किया गया हो तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि न्यायालय अपने स्तर से पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी करते हुए आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इस प्रकियात्मक कार्यवाही को दरकिनार करते हुए अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य मौजूद होते हुए भी बिना रिकार्ड के अवलोकन किये दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण जहाँ पक्षकारों के मध्य अधिकार तय होने होते है, बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर अपीलांट के हक व हकूकों को समाप्त करते हुए वादगत् भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये [illegible] आदेश प्रदान किये गये है। जो स्पष्ट रूप से विधि [illegible] प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण, अपील के [illegible] पर किसी प्रकार की कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:50:32 IST
Reason: SelfAttested

टिप्पणी किये बिना प्रकरण उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर मु. बीकानेर दिनांक 25—05—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 22-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.16 10:30:32 IST
Reason: SelfAttested